भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 4424
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

केरल में हेलिकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा

4424. **श्री राजमोहन उन्नीथन:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों हेतु हेलिकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त सेवा किन-किन शहरों और राज्यों में आरंभ की गई है;
(ग) क्या केरल के किसी शहर का हेलिकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा के प्रयोजनार्थ चयन किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या सरकार का भविष्य में केरल में हेलिकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): नागर विमानन मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से 29 अक्टूबर, 2024 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश में प्रायोगिक परियोजना 'संजीवनी' के तहत हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा (एचईएमएस) शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में एम्स, ऋषिकेश के 150 किलोमीटर के दायरे में दुर्घटना पीड़ितों और रोगियों के लिए समय पर परिवहन प्रदान करना है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में रोगियों को आपातकालीन गहन चिकित्सा मिल सके। इस परियोजना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (50%) और उत्तराखंड सरकार (50%) द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया गया है।

वर्तमान में, भारत सरकार के पास कोई अन्य प्रस्ताव या योजना नहीं है और एचईएमएस को अभी तक केवल उत्तराखंड राज्य में प्रायोगिक आधार पर लॉन्च किया गया है।

*****